

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: प.44(61)आयो/कम्प्यू/89/ए/49456/2016

जयपुर, दिनांक 28/4/2016

आदेश

श्री तरुण यादव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को भामाशाह योजना के कार्यों में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अविलम्ब प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री तरुण यादव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) का मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर में रहेगा तथा निलम्बन काल में श्री यादव को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री महेश कुमार गुप्ता, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है।

आज्ञा से,

-sd-

(ए.एम देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं -

1. सचिव, मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री महोदया, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार) राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, कार्मिक क-3 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर, श्री तरुण यादव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को निलम्बनकाल में उपस्थिति अंकित करने के उद्देश्य से रखी गई उपस्थिति पंजिका में प्रतिकार्य दिवस उपस्थिति अंकित करने हेतु निर्देश देवें एवं उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय पूर्वानुमति के बिना नहीं छोड़ेंगे। उक्त श्री तरुण यादव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को निलम्बनकाल में उनके अवकाश वेतन में बराबर, उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे। राज. सेवा नियमों के नियम 53(2) में दिये गये प्रावधानानुसार श्री यादव से निलम्बन काल में व्यवसाय नहीं करने से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्वाह भत्ते का भुगतान करने का श्रम करें।
7. श्री महेश कुमार गुप्ता, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
9. श्री तरुण यादव, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिकार्य दिवस अपनी उपस्थिति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे व कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर की पूर्वानुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
10. निजी/लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।
11. प्रभारी आधिकारी, वेबसाइट।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)